

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

Submitted for Kiv
for used. Sir 2/12/18

AC (An) Sir

विषय:- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों/आयोग/ निगम/मण्डल/में मनोनीत गैर शासकीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सदस्यों का मनोनयन तत्काल समाप्त किये जाने बाबत।

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों/आयोग/निगम/मण्डल का गठन किया हुआ है, जिनमें गैर शासकीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों का मनोनयन किया हुआ है। राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों/आयोग/निगम/मण्डल में गैर शासकीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार ने तुरन्त प्रभाव से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः आपके अधीन विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों/आयोग/निगम/मण्डल जिनमें गैर शासकीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सदस्यों का मनोनयन किया हुआ है, उनका मनोनयन तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर आदेश की प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय एवं इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

ऐसे प्रकरण जिनमें वैधानिक दृष्टि से निरस्त किया जाना सम्भव नहीं है, उनकी पत्रावलियां मय नियमावली के मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल भिजवायें।

(डॉ० प्रेम सिंह चारण) 21/12/18
संयुक्त शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण

क्रमांक: प.6(51)प्र.सु./अनु.3/2018
जयपुर, दिनांक: 21.12.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीजी।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव 21/12/18